


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

विजय सिंह बनाम सुमत कंवर व अन्य

केस संख्या 15/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
02.08.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राथी अधिवक्ता उपस्थित है। प्राथी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि जिस प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है उस प्रकरण का पीठारीन अधिकारी द्वारा दिनांक 18.01.2021 को ही निस्तारण कर दिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य हो गया है।</p> <p>प्राथी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्राथी ने सहायक कलक्टर फारस्ट ट्रेक दूडू के समक्ष विद्यार्थीन प्रकरण संख्या 42/2016 व उनपानी विजय सिंह बनाम सुमत कंवर व अन्य में पीठारीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु दिनांक 18.01.2021 को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, और सहायक कलक्टर फारस्ट ट्रेक दूडू के द्वारा दिनांक 18.01.2021 को ही प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है।</p> <p>प्रकरण का निस्तारण किये जाने के पश्चात प्राथी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्राथी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  21/8/21 (अन्तर सिंह मेहरा) जिला कलक्टर जयपुर </p>	